उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-1

संख्या-12/2018/1340/96-आयुष-1-2018-138/2018

लखनऊ; दिनांक 30 मार्च, 2018

शुद्धिपत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला योजना के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण कार्य विषयक शासनादेश संख्या-2/2018/1147/96-आयुष-1-2018-138/2018; दिनांक 21 मार्च, 2018 त्रुटिवश कार्यदायी संस्था "उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ (यू0पी0 आर0एन0एस0एस0)" के स्थान पर "उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड)" टंकित हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश में कार्यदायी संस्था का नाम "उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ (यू0पी0 आर0एन0एस0एस0)" पढ़ा जाय।

3- उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

मुकेश कुमार मेश्राम
सचिव।

संख्या-12/2018/1340(1)/96-आयुष-1-2018; तद्-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) संबंधित जिलाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ)।
(5) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ)।
(6) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ)।
(8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ (यू0पी0 आर0एन0एस0एस0), लखनऊ।
(9) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।